

# राज्य सभा सचिवालय

विशिष्ट दर्शक दीर्घा (डीवीजी) प्रवेश-पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र

दिनांक: \_\_\_\_\_

सेवा में,

महासचिव,  
राज्य सभा।

महोदय,

मुझे निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए, पृष्ठ के दूसरी ओर प्रारूप में दिए गए ब्योरे के अनुसार दिनांक \_\_\_\_\_ को होने वाली राज्य सभा की बैठक की कार्यवाही देखने के लिए डीवीजी प्रवेश-पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

टिप्पणी : यदि दर्शकों की संख्या पांच से अधिक हो, तो कृपया विहित प्रारूप में पृथक शीट संलग्न करें और समस्त अपेक्षित सूचना प्रदान करें।

2. उपर्युक्त दर्शक मेरा/मेरे निजी मित्र/संबंधी है/हैं, मैं उसे/उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता/जानती हूँ और मैं उसकी/उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ।

भवदीय/भवदीय,

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

सदस्य का नाम : \_\_\_\_\_

विभाजन संख्या. : \_\_\_\_\_

आईसी संख्या : \_\_\_\_\_

दूरभाष/मोबाइल संख्या : \_\_\_\_\_

## अनुदेश:-

(i) डीवीजी प्रवेश-पत्र केवल निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं:-

(क) वर्तमान विधायक/विधान पार्षद; (ख) मुख्यमंत्री/राज्य के मंत्री; (ग) केन्द्रीय सरकार के पूर्व मंत्री; (घ) राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री (पुत्रियां); (ङ.) राज्यों के राज्यपाल; (च) उच्च अधिकारीगण; (छ) सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति; (ज) राजनयिक दल के सदस्य; और (झ) विदेशों के विशिष्ट मेहमान

(ii) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र हेतु आवेदन न करें।

(iii) जिस तिथि की बैठक के लिए दर्शक प्रवेश पत्र चाहिए, उससे पूर्व के कार्य दिवस को मध्याह्न पश्चात् 3 बजे तक यह आवेदन सूचना कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। उसी दिन के लिए डीवीजी प्रवेश पत्र हेतु आवेदन केवल आपात मामलों में किया जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन न किए जाने का कारण नीचे दिए गए बॉक्स में विनिर्दिष्ट करें।

(iv) यदि उपर्युक्त समस्त अपेक्षित विवरण नहीं दिया गया है, तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दीर्घा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) डीवीजी प्रवेश-पत्र सीधे केन्द्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ (सीपीआईसी), राज्य सभा से प्राप्त किए जा सकते हैं।

## सूचना कार्यालय की अनुशंसा

1. आगमन की तारीख और समय :

2. व्यक्तियों की संख्या :

(अवर सचिव)

सूचना कार्यालय

केन्द्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ, राज्य सभा, संसद भवन

आगंतुक (आगंतुकों) का ब्यौरा जिनके लिए विशिष्ट आगंतुक दीर्घा (डीवीजी) प्रवेश-पत्र (पत्रों) की आवश्यकता है

क्रम. सं.	आगंतुक (आगंतुकों) का पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)	पिता/पति का नाम (मोटे अक्षरों में)	आयु	व्यवसाय	आगंतुक (आगंतुकों) का स्थायी पता	आगंतुक (आगंतुकों) का दिल्ली का पता	राष्ट्रीयता और पासपोर्ट की प्रतिलिपि सहित पासपोर्ट संख्या (केवल विदेशी नागरिकों के लिए)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

हस्ताक्षर: .....

सदस्य का नाम: .....

विभाजन सं. ....

आईसी सं. ....